

भारत सरकार
उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या †4150
उत्तर देने की तारीख 27 मार्च, 2023 (सोमवार)
6 चैत्र, 1945 (शक)

प्रश्न

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र का विकास

†4150. श्री दिलीप शङ्कीया:

क्या उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) उत्तर पूर्व औद्योगिक विकास योजना की परिधि और प्रमुख परियोजनाएं तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र के विकास के लिए इसका विस्तार केंद्र क्या है;
- (ख) विगत तीन वर्षों के दौरान महिला सशक्तिकरण और कौशल विकास तथा स्थानीय उत्पाद बाजार को तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए छंब जाति द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या अपनी स्थापना के कुछ वर्षों के बाद छंब जाति ने अपने क्षेत्रीय कार्यालय के बजाय नई दिल्ली से काम करना शुरू कर दिया है और इसका क्षेत्रीय कार्यालय सिर्फ एक पर्यटन केंद्र में बदल गया है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा कार्यान्वित पूर्वोत्तर औद्योगिक विकास स्कीम (एनईआईडीएस), 2017 में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र शामिल हैं। यह स्कीम पात्र औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन प्रदान करती है जिनमें ऋण तक पहुंच के लिए केन्द्रीय पूंजी निवेश प्रोत्साहन; केन्द्रीय ब्याज प्रोत्साहन; केन्द्रीय व्यापक बीमा प्रोत्साहन; आयकर प्रतिपूर्ति; केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर और एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर के केन्द्रीय हिस्से की प्रतिपूर्ति; रोजगार प्रोत्साहन; और परिवहन प्रोत्साहन शामिल हैं।

15.03.2023 तक, एनईआईडीएस, 2017 के तहत कुल 926 औद्योगिक इकाइयों (सशर्त पंजीकरण सहित) को पंजीकृत किया गया है। इस स्कीम के तहत 15.00 करोड़ रुपये से अधिक के संयंत्र और मशीनरी निवेश का प्रस्ताव करने वाली 74 परियोजनाएं पंजीकृत की गई हैं। इनमें से 06 परियोजनाओं को ऋण तक पहुंच के लिए केंद्रीय पूंजी निवेश प्रोत्साहन के तहत प्रोत्साहन प्रदान किया गया है और पूर्वोत्तर क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों को इस घटक के तहत कुल 164.05 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। डीपीआईआईटी द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार इस स्कीम के अंतर्गत कोई विस्तार केन्द्र नहीं है। तथापि, पात्र औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहनों के संवितरण के लिए पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम (एनईडीएफआई) को नियोजित किया गया है।

(ख) से (घ) इस मंत्रालय में ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।
